सं0सं0–7/बजट–46–44/2021 – 327(7B)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वाराः– वित्त विभाग।

पटना, दिनाक–10/08/2026

विषयः– शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना को वेतन व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में उपबंधित सहायक अनुदान–वेतन मद की राशि रु० 1,00,00,000/– में से प्रथम किस्त के रूप में रु० 33,00,000/– (रुपये तेतीस लाख) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति।

आदेशः–स्वीकृत ।

शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना को वेतन व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में उपबधित सहायक अनुदान–वेतन मद की राशि रू० 1,00,00,000/– में से प्रथम किस्त के रूप में रु० 33,00,000/– (रुपये तेतीस लाख) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17.04.1998, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.2006, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.2008, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017, 4443/वि0, दिनांक–14.06.2018 एव 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3– इस राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0015–शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, विपत्र कोड–20–2210051050015 के विषय शीर्ष–0015–31–04 सहायक अनुदान–वेतन मद मे वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4– समिति प्राप्त राशि का अंकेक्षण ससमय पूर्ण कराकर अंकेक्षण प्रतिवेदन विभाग के माध्यम से महालेखाकार को भेजना सुनिश्चित करेगी।

5– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे।

6– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी कर बैंक खाता संख्या–36948699492 एवं आई०एफ०एस०सी०–SBIN0006379 में शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे और शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

7– इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

8– प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग द्वारा निम्नवत् सशर्त्त सहमति प्रदान की गयी है–

(क) विमुक्त की जाने वाली राशि की एकमुश्त निकासी कोषागार से नहीं किया जाय। महावार वेतन एवं छात्रवृति मद में मासिक देय राशि के अनुसार राशि की निकासी प्रत्येक माह किया जाय।

(ख) 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से सबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार से दो माह के अन्दर कराना सुनिश्चित किया जाय।

(ग) कर्मियों के वेतनादि/पेंशनादि का भुगतान पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(ग) राशि की निकासी एवं व्यय बजटीय उपबंध के अन्तर्गत समय—समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाय।

9— प्रस्ताव एवं प्रारूप मे माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

10— इसमें महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10.8.26

(शम्भु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—7/बजट— 46—44/2021 — 327(7B)/स्वा0, पटना, दिनांक— 10/08/2026

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोशागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—7(B) एवं सबधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः—सचिव, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति. बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.8.26

सरकार के अपर सचिव